

## न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 49/2022-23

### -:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 393, दिनांक- 20.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका गौरी देवी उर्फ गोरिया देवी, पिता- सोमर खानी, पति- स्व0 जटल खानी, साकिम- भुरुंगिया, थाना- महुदा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- हरिणा, मौजा नं0- 101, गत् खाता सं0- 45, गत प्लॉट सं0- 228, 579, 458, 596, 13, नया खाता सं0- 130, नया प्लॉट सं0- 284, 1038, 486, 1099, 37, क्रमशः रकवा- 12 डि0+ 04 डि0+ 12 डि0+ 4.5 डि0+ 05 डि0, कुल रकवा- 37.50 डिसमील भूमि क्रेता पुनम कुमारी, पति- संतोष खानी, साकिम- हरिणा बस्ती, थाना- बरोरा, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कहार हैं तथा दोनों एक ही थाना- हरिणा, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 46 डिसमील शेष भूमि बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।